अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– प.11(2)मो./महानरेगा कन्वर्जेन्स/ICDS/2015/ 156591-623 जयपुर, दिनांकः 24.11.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–पेयजल एवं शौचालय की सुविधा से विहीन राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– विभागीय पत्रांक 35992–36024 दिनांक 15.03.2016, 47167–199 दिनांक 12.04.2016, 56198–225 दिनांक 02.05.2016 एवं 85131–156 दिनांक 28.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि आपके अधीन चल रहे विभागीय/अन्य राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर आवश्यक सुविधा पेयजल एवं शौचालय विहीन आंगनबाडी केन्द्रों की सूची निम्न प्रपत्र में तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को आवश्यक रूप से दो दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें, ताकि ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें।

प्रेषित सूचना से निदेशालय को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही Excel format में सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवायें। इसे अति–आवश्यक प्राथमिकता प्रदान की जावें।

क्र.सं.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	राजकीय भवनों में संचालित आ.बा.के. की संख्या	शौचालय विहीन केन्द्रों की संख्या	पेयजल सुविधा विहीन केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– प.11(2)मो./महानरेगा कन्वर्जेन्स/ICDS/2015/ 156624-960 जयपुर, दिनांकः 24.11.16

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
3. ACP को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

E:\rajnarayan\rajnarayanji.docx-352